फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नारायणी　　बनाम　　विपक्षी : श्रीमती इन्द्रा व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम　　पत्रावली संख्या : 50 / 24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 09.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4, 8 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से तामील करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किया गया। डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 4, 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 4, 8 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 4, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 13 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 12 अनुपस्थित रहे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 99 की आराजी न. 1074 किता 1 रकबा 1.3400 हैं. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:29:52 IST
Reason: SelfAttested